This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 / 24 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT
(Disaster Management Cell)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th December, 2025

No. Rev. (DMC)(C)B-10-2/2021-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the

Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Data Entry Operator, Emergency Operation Centre, Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Revenue (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management Cell), Data Entry Operator, Emergency Operation Centre, Group-C Recruitment & Promotion Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
(KAMLESH KUMAR PANT),
Additional Chief Secretary (Revenue).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATORS EMERGENCY OPERATION CENTRE, GROUP-C, IN THE DEPARTMENT OF REVENUE,(DISASTER MANAGEMENT CELL), HIMACHAL PRADESH

1.	**Name of the Post:**	Data Entry Operator Emergency Operation Centre
2.	**Number of Post(Posts):**	**03 (Three)**
3.	**Classification:**	Group-C
4.	**Scale of Pay:**	Level -3 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022 .
5.	**Whether "selection" post or non-selection post:**	Not applicable.
6.	**Age for direct recruits:**	Between 18 to 45 years:
		Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government. of H.P. including those who have been appointed on *adhoc* basis; Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *adhoc* appointment: Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other backward categories and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

		Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the PublicSector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies. **Note:** Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.
7.	**Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**	**(a)Essential Qualification(s):** (i) 10+2 examination passed from a recognized Board of School Education. (ii) Diploma of atleast one year duration in Data EntryOperator/Computer Application/Computer Programming from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University/"O" Level Course from DOEACC Society /National Institute of Electronics & Information Technology (NIELT). (iii) Provided that the candidate must have passed Matriculation & 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh: Provided that this condition shall not apply to Bonafied Himachalis. **(b) Desirable qualification:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	**Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):**	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable

9.	**Period of probation, if any:**	**(i) Direct recruitment:** **(a)** Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. **(b)** No probation in the case of appointment on tenure basis, reemployment after superannuation and absorption. **(ii) Promotion :** Not Applicable
10.	**Method (s) of recruitment whether by direct recruitment, by regularization or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods:**	(a) 100% direct recruitment on regular basis or recruitment by regularization, as the case may be.
11.	**In case of recruitment: by promotion/secondment, transfer is to be made:**	Not applicable
12.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	(a) Departmental Promotion Committee: 'Not applicable' (b) Departmental Confirmation Committee: "As may be constituted by the Government from time to time"
13.	**Circumstances under: which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:**	As required under the law.
14.	**Essential requirement for a direct recruitment:**	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	**Selection for appointment to the post by direct recruitment:**	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus etc. Will be determined by the Rajya Chayan Aayog (HPRCA) Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case, may be.
16.	**Reservation:**	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	**Departmental Examination:**	Not Applicable
18.	**Powers to relax:**	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 12 दिसम्बर, 2025

सं0 वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–139 / 2025.——हिमाचन प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 262 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भू–सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक–25 पर विचार–विमर्श करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रवर समिति हेतु निम्न सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया हैः——

प्रवर समिति		
1.	श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री	*सभापति*
2.	श्री अनिरूद्ध सिंह, पंचायती राज मन्त्री	*सदस्य*
3.	श्री सुख राम चौधरी	*सदस्य*
4.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	*सदस्य*
5.	श्री रणधीर शर्मा	*सदस्य*
6.	श्री आशीष बुटेल	*सदस्य*
7.	श्री संजय रत्न	*सदस्य*
8.	श्री त्रिलोक जम्वाल	*सदस्य*
9.	श्री हरीश जनारथा	*सदस्य*

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिटको देवी पुत्री श्री वलिया, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6244/2025, दिनांक 28–11–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/22671, दिनांक 04–11–2025,

(2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका मिटको देवी पुत्री श्री वलिया, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मिटको देवी पुत्री श्री वलिया, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 04–11–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मिटको देवी पुत्री श्री वलिया, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–07–1951 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मिटको देवी पुत्री श्री वलिया, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कुश्मो पुत्री श्री परसो, गांव सरियारूई, डाकघर सन्धी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा ·· प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6243/2025, दिनांक 28–11–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/24176, दिनांक 27–11–2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका कुश्मो पुत्री श्री परसो, गांव सरियारूई, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कुश्मो पुत्री श्री परसो, गांव सरियारूई, डाकघर सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 27–11–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुश्मो पुत्री श्री परसो, गांव सरियारूई, डाकघर सन्धी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 15–06–1971 जन्म एवं मृत्यु

पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कुश्मो पुत्री श्री परसो, गांव सरियारूई, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29—11—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 64 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025—928—29 दिनांक : 02—12—2025

व्यासो पुत्र भरथू राम, गांव गददा, डाकघर सियुला, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सियुला, विकास खण्ड सलूणी ..प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:HFW-B&D/CMO-CBA/2025-22701, dated 04-11-2025, 2. शपथ—पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण—पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. दसवीं कक्षा का प्रमाण—पत्र, 7. परिवार नकल, जिसमें आवेदक व्यासो पुत्र भरथू राम, गांव गददा, डाकघर सियुला, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पोती स्नेहा शर्मा की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में स्नेहा शर्मा का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 04—11—2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि स्नेहा शर्मा पुत्री मनोज कुमार गांव गददा, डाकघर सियुला, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01—04—2009 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख में जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में स्नेहा शर्मा पुत्री मनोज कुमार, गांव गददा, डाकघर सियुला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सियुला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 02—12—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 81752 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025—912 दिनांक : 26—11—2025

लालो राम पुत्र चुहड्डू, निवासी गांव अनोगा, परगना जुंड, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत बाड़का . . प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

लालो राम पुत्र चुहड्डू, निवासी गांव अनोगा, परगना जुंड, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि ग्राम पंचायत बाड़का के परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व भोलू राम पुत्र के शिक्षा प्रमाण—पत्र में लालो राम दर्ज है जोकि सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल झौडा, पटवार वृत्त सेरी, उप—तहसील तेलका में मेरा नाम लालो दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम लालो के बजाये लालो उर्फ लालो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26—11—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 06 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 05—08—2025

मुकद्दमा शीर्षक :

कुमारी आर्या कामटैस नेगी पुत्री श्री देवी सिंह, निवासी गांव कनैई व डाकघर करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री देवी सिंह पुत्र श्री शिव लाल, निवासी गांव कनैई व डाकघर करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री कुमारी आर्या कामटैस नेगी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है। अब उपरोक्त जन्म तिथि 07—12—2022 का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कुमारी आर्या कामटैस नेगी पुत्री श्री देवी सिंह की जन्म तिथि 07—12—2022 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 22—12—2025 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 21—11—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 29—09—2025

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती बिमला देवी पुत्री स्व0 श्री मुरील, निवासी गांव थेमगारंग, डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती बिमला देवी पुत्री स्व0 श्री मुरील, निवासी गांव थेमगारंग, डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती बिमला देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है। अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 05–06–1967 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि श्रीमती बिमला देवी पुत्री स्व0 श्री मुरील की जन्म तिथि 05–06–1967 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 22–12–2025 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 21–11–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री मोहन लाल पुत्र मान चन्द, निवासी गांव व डाकधर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री मोहन लाल पुत्र मान चन्द, निवासी गांव व डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 07–08–1968 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभीकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री मोहन लाल पुत्र मान चन्द की जन्म तिथि 07–08–1968 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री मोहन लाल पुत्र मान चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 08–01–2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री सत पाल राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सितेन्दर सिंह पुत्र स्व0 मोहिन्दर सिंह, निवासी मंघारा, डाकघर देवीधार, उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस न्यायालय में श्री सितेन्दर सिंह पुत्र स्व0 मोहिन्दर सिंह, निवासी मंघारा, डाकघर देवीधार, उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री शिव्या सिंह नेगी का जन्म दिनांक 17–07–2017 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवीधार के रिकार्ड में खेजल नेगी व जन्म तिथि 19–01–2017 दर्ज है जोकि गलत है। उसका सही नाम व जन्म तिथि पंचायत देवीधार में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी शिव्या सिंह नेगी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत देवीधार में दर्ज करने बारे कोई एतराज / आपत्ति हो तो वह 04–01–2026 व इससे पूर्व तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर इस न्यायालय में आकर अपना एतराज / आपत्ति दर्ज करवा सकता है। एतराज / आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि खेजल नेगी का सही नाम शिव्या सिंह नेगी एवं जन्म तिथि 17–07–2017 ग्राम पंचायत देवीधार में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत देवीधार में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(सत पाल राणा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जांगला, जिला शिमला, हि0प्र0।

In the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.)

Application No. : 5/2025 Date of Institution : 03-11-2025.

Smt. Kamla Devi d/o Sh. Mastiya, r/o Village Sohal, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Application regarding delayed registration of birth event under section 13 (3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969.

The application regarding delayed registration of birth event of Smt. Kamla Devi d/o Sh. Mastiya, r/o Village Sohal, P.O. Sainj, G.P. Nehra, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.) under Section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and relevant documents is received from Tehsil Sunni *vide* letter No. The. Sunni 5-1 (5) Misc/2025-1584, dated 28th October. 2025 in the count of undersigned to recording & correction of the date of birth 18-05-1973 in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchyat Nehra.

And whereas, the District Registrar (Birth & Death) Shimla has verified the facts about the date of birth of Smt. Kamla Devi d/o Sh. Mastiya *vide* letter No. HFW-SML(MOH) (B&D)/Aug 2025-6240, dated 22-09-2025.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Kamla Devi d/o Sh. Mastiya, r/o Village Sohal, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.)	Self	18-05-1973

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding recording/correction of the date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Nehra, may file their claims/objections on or before one month from the date of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 06-12-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Sub-Tehsil Dhami, District Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

निवेदिता पुत्री स्व0 श्री मनोज कुमार, गांव मकान नम्बर 4154 / 13, मौहल्ला बाल्मिकि बस्ती, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया निवेदिता पुत्री स्व0 श्री मनोज कुमार, गांव मकान नम्बर 4154 / 13, मौहल्ला बाल्मिकि बस्ती, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-10702, दिनांक 21—11—2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, रिपोर्ट पार्षद अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसके अंकल (ताया जी) श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द की मृत्यु तिथि 26—06—2020 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज सके। अब वह अपने अंकल की मृत्यु तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02—01—2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया निवेदिता पुत्री स्व0 श्री मनोज कुमार के अंकल स्व0 श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश चंद की मृत्यु तिथि 26—06—2020 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02—12—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती राजो देवी पुत्री श्री चरंजी लाल, गांव गाड्डा भुड्डी, डाकघर शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती राजो देवी पुत्री श्री चरंजी लाल, गांव गाड्डा भुड्डी, डाकघर शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-10429, दिनांक 17—11—2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनकलाँ, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सतीवाला, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जिला सिरमौर, हि0प्र0, नकल परिवार रजिस्टर, अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 03—11—1966 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02—01—2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया श्रीमती राजो देवी पुत्री श्री चरंजी लाल, गांव गाड्डा भुड्डी, डाकघर शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03—11—1966 ग्राम पंचायत रामाधौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02—12—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री महिमा नन्द, गांव एवं डाकघर रामा, ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री महिमा नन्द, गांव एवं डाकघर रामा, ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5149, दिनांक 22—07—2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनेठी, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रामाधौण, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, हि0प्र0, नकल परिवार रजिस्टर, अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 03—11—1966 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामाधौण, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02—01—2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री महिमा नन्द एवं श्रीमती शान्ति देवी की जन्म तिथि 03—11—1966 ग्राम पंचायत रामाधौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02—12—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती मीना परवीन पुत्री श्री वजीर मोहम्मद तेलीया, कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती मीना परवीन पुत्री श्री वजीर मोहम्मद, मोहल्ला तेलीया, कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9558, दिनांक 03—10—2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण—पत्र, अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 25—08—1963 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02—01—2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया श्रीमती मीना परवीन पुत्री श्री वजीर मोहम्मद एवं श्रीमती रसीदा बेगम की जन्म तिथि 25—08—1963 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02—12—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम, निवासी गांव घरडिया, डाकघर कोरग, संगड़ाह, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थी श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम, निवासी गांव घरडिया, डाकघर कोरग, संगड़ाह, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9778, दिनांक 04–10–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, रिपोर्ट ग्राम पंचायत टिकरी डसाकना, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसके पिता स्व0 श्री बन्सी राम पुत्र श्री चाननू की मृत्यु तिथि 17–05–2023 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह उक्त मृत्यु तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थी श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम के पिता स्व0 श्री बन्सी राम की मृत्यु तिथि 17–05–2023 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम, निवासी गांव घरडिया, डाकघर कोरग, संगड़ाह, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थी श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम, निवासी गांव घरडिया, डाकघर कोरग, संगड़ाह, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-8988, दिनांक 13–10–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, रिपोर्ट ग्राम पंचायत टिकरी डसाकना, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री बन्सी राम की मृत्यु तिथि 12–06–2021 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी माता की मृत्यु तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थी श्री कपिल देव पुत्र स्व0 श्री बन्सी राम की माता श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 बन्सी राम की मृत्यु तिथि 12–06–2021 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती रानो देवी पुत्री श्री बारु राम, निवासी गांव रीगड़वाला, डाकघर एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती रानो देवी पुत्री श्री बारु राम, निवासी गांव रीगड़वाला, डाकघर एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9775, दिनांक 04–10–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01–07–1970 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़ में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया श्रीमती रानो देवी पुत्री श्री बारु राम की जन्म तिथि 01–07–1970 ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती प्रभा देवी पुत्री श्री रामस्वरुप, निवासी गांव मण्डपा, डाकघर बिक्रम बाग, ग्राम पंचायत देवनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती प्रभा देवी पुत्री श्री रामस्वरुप, निवासी गांव मण्डपा, डाकघर बिक्रम बाग, ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9559, दिनांक 03–10–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बिक्रम बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत देवनी, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 09–06–1968 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत देवनी में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता, तो प्रार्थिया श्रीमती प्रभा देवी पुत्री श्री रामस्वरुप की जन्म तिथि 09–06–1968 ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 02–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 15 / 13(3) of 2025 तारीख मजरुआ : 15–11–2025 तारीख पेशी : 27–12–2025

प्रार्थिया श्रीमती कांता देवी पुत्री श्री हीरा सिंह, निवासी कोटी धिमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती कांता देवी पुत्री श्री हीरा सिंह, निवासी कोटी धिमान, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म ग्राम पंचायत कोटी धिमान में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 08–02–1982 को ग्राम पंचायत कोटी धिमान में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत कोटी धिमान में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 27–12–2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –

मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

CORRECTION OF NAME

I, Dhanwanti w/o Mohammad Aasif, r/o Village Bangera, P.O. Okhroo, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that my name in my daughter Aaradhya's birth record have been wrongly entered as Jiya whereas my correct name is Dhanwanti. All concerned please may note.

DHANWANTI
w/o Mohammad Aasif,
r/o Village Bangera, P.O. Okhroo,
Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

———————

CORRECTION OF NAME

I, Ravindra w/o Late Sh. Anil Kumar, r/o Village Kuddu, P.O. Dhadi Rawat, Sub-Tehsil Saraswati Nagar, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Kajal which should be corrected as Kumari Kajal. Please correct this.

RAVINDRA
w/o Late Sh. Anil Kumar,
r/o Village Kuddu, P.O. Dhadi Rawat,
Sub-Tehsil Saraswati Nagar, Distt. Shimla (H.P.).

———————

CORRECTION OF NAME

I, Dhanwanti w/o Mohammad Aasif, r/o Village Bangera, P.O. Okhroo, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that my name in my son Soubhagya's birth record have been wrongly entered as Jiya Khan and my husband's name as Aasif whereas my correct name is Dhanwanti and my husband's correct name is Mohammad Aasif. All concerned please may note.

DHANWANTI
w/o Mohammad Aasif,
r/o Village Bangera, P.O. Okhroo,
Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamla Kumari w/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Village Dharthidhar, P.O. Chhatri, Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.)-175047 declare that I have changed my minor son's name from Prarikshit Thakur to Parikshit. All concerned please may note.

KAMLA KUMARI
w/o Sh. Sandeep Kumar,
r/o Village Dharthidhar, P.O. Chhatri,
Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.)-175047.

CHANGE OF NAME

I, Mahender Kumar (DOB 03-11-1963) s/o Mangat Ram, r/o MC Quarter, Near GSSS Sanjauli, Shimla (H.P.)-171006 declare that I have changed my name from Mahender Kumar (Old Name) to Mohinder (New Name). All concerned please may note.

MAHENDER KUMAR
s/o Mangat Ram,
r/o MC Quarter, Near GSSS Sanjauli,
Shimla (H.P.)-171006.

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 15 दिसम्बर, 2025

सं0 वि0स0–विधायन–प्रा0 / 1–1 / 2023.——राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :——

"मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के दशम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वाराः–

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004*, the 15th December,* 2025

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 15th December, 2025 is hereby published for general information:—

"मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के दशम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

By order:–

YASH PAUL SHARMA,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.